न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

सूचना का अधिकार अपील 16/2024

बनाम

अपीलांटः–

1. **सज्जनसिंह पुत्र स्व श्री हुकमसिंह जाति राजपूत, निवासी बाड़मेर हाल निवासी मकान संख्या एन–23 आशियाना अमरबाग** पाली रोड़ कुड़ी, जोधपुर 342016

रेस्पोडेंट :–

1. **उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा**

आदेश

दिनांक 21.05.2024

अपीलार्थी श्री सज्जनसिंह पुत्र स्व श्री हुकमसिंह जाति राजपूत, निवासी बाड़मेर हाल निवासी मकान संख्या एन–23 आशियाना अमरबाग पाली रोड़ कुड़ी, जोधपुर 342016 ने यह प्रथम अपील उतरदाता उपखण्ड, अधिकारी बालोतरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 30.04.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई।

रेस्पोडेंट द्वारा सुनवाई तिथि को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक/आरटीआई/2024/342 दिनां 03.04.2024 को निर्धारित समयावधि में जरिये डाक उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाने का हवाला देकर प्रस्तुत की गई है, जबकि अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलार्थी की उक्त अपील अस्वीकार कर प्रकरण खारिज की जाए। लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावे।

हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोडेंट की ओर से जवाब का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी के पत्रांक/आरटीआई/2024/342 दिनां 03.04.2024 को निर्धारित समयावधि में जरिये डाक उपलब्ध करवा दी गई है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट, विशिष्टिविहिन होने के कारण उक्त सूचना दिया जाना संभव नहीं है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 21.05.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बालोतरा